उत्तराखण्ड शासन
वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–/922 /X–2–2012–7(6)/2004टी0सी0
देहरादून, दिनाँक 08 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–(C)202/1995 के I.A.No. 2143 में पारित आदेश आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2009 एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक– 1-58/09-Mos(I/c)-E&F दिनाँक 15 जुलाई, 2009 के अनुपालन में इस विषय में विद्यमान समस्त अधिसूचनाएं तथा आदेश अधिक्रमित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण, वन संसाधन प्रबन्धन, प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबन्धन तथा क्षेत्र से सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के विकास और सम्बद्ध कार्यों की गतिविधियों में तेजी लाने, वन व वन्य जीव के संरक्षण और प्रबन्धन के लिए सम्बन्धित गतिविधियों तथा उक्त हेतु कई स्रोतों के धन के उपयोग के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करने, प्राकृतिक वनों का पुनरोत्पादन और इस कार्य में लगे संस्थानों को सुदृढ़ करने, वन सुरक्षा, पुनरोत्पादन तथा वन्य जीव प्राकृतवास का विकास करने, राज्य के वन विभाग का आधुनिकीकरण किए जाने तथा संरक्षण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं व छात्रों के स्वैच्छिक आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नवत् उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इसमें :–
(क) "प्राधिकरण" से इस अधिसूचना द्वारा गठित उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) अभिप्रेत है;
(ख) "कार्यान्वयन अभिकरण" से सम्बन्धित वन/वन्य जीव प्रभाग, वन पंचायत को सम्मिलित करते हुए सामुदायिक उपभोगता समूह, एवं/अथवा अन्य उपयुक्त व्यवसायिक अभिकरण, जो राज्य सरकार के उपार्जन नियमों के अन्तर्गत काम में लगाया गया हो और उत्तराखण्ड कैम्पा के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति तथा कार्य करता हो, अभिप्रेत है;
(ग) "तदर्थ कैम्पा" से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202, I.A. संख्या 827, 1122, 1216, 1473 में पारित आदेश दिनाँक 05.05.2006 के क्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत रचित अस्थायी संस्था अर्थात् प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड कैम्पा के लक्ष्य एवं उद्देश्य

3. प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित की वृद्धि का प्रयास किया जायेगा; अर्थात् –

(क) वर्तमान प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनरोत्पादन तथा प्रबन्ध;

(ख) वन्यजीवों तथा रक्षित वन क्षेत्रों, जिनमें रक्षित क्षेत्रों की सुदृढ़ता भी सम्मिलित है, के भीतर तथा बाहर उनके प्राकृतावास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन;

(ग) क्षतिपूरक वनीकरण;

(घ) पर्यावरण सेवायें, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(एक) काष्ठ, अकाष्ठ वनोपज, जलाऊ लकड़ी, चारा तथा जल जैसी सामग्री और लब्धतचारागाह, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण एवं जीवन रक्षक जैसी सेवाओं की उपलब्धता;

(दो) जलवायु नियंत्रण, रोग नियंत्रण, बाढ़ संतुलन, विषहरण, कार्बन संचय एवं स्वस्थ मृदा, वायु और जल की व्यवस्था;

(तीन) पारिस्थितिक प्रणालियों, आध्यात्मिक, मनोरंजक, सौन्दर्यपरक, प्रेरणात्मक, शैक्षिक और प्रतीकवाद से प्राप्त अभौतिक फायदे;

(चार) पारिस्थितिक सेवाओं, जैवविविधता, पुष्टिकर चक्र तथा प्रारम्भिक उत्पादन जैसी अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक समर्थन;

(ङ) अनुसन्धान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्य

4. उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे; अर्थात् :—

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के ऐवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वित्त पोषण एवं निगरानी कर बढ़ावा देना;

(ख) कार्यक्रम के अधीन वित्त पोषित वनों, वन्य जीव संरक्षण और संरक्षण कार्यों की देखरेख;

(ग) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्राप्त धन के सम्बन्ध में एक अलग खाते को बनाए रखना;

(घ) कार्यक्रम के लिए पारदर्शिता की संरचना, जन समर्थन जुटाना तथा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक पर्यावरण सहित सुरक्षा और सुधार के लिए युवाओं और छात्रों के स्वैच्छिक आन्दोलन को बढ़ावा देना; और

(ङ) निधि की दो प्रतिशत तक की धनराशि इसी आशय से अलग रखते हुए परिमाणयुक्त मूल्यांकन, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) प्रणाली तथा कुशल निष्पादन सुनिश्चित करना।

उत्तराखण्ड कैम्पा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

5. प्राधिकरण के प्रशासन एवं दैनिक कार्यकलापों के लिए वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक पद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए करेगी, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

उत्तराखण्ड कैम्पा की संरचना

शासी निकाय के सदस्य तथा कार्य

6. (1) प्राधिकरण की शासी निकाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे; अर्थात् :–

(क) मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष;

(ख) वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन – उपाध्यक्ष;

(ग) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(घ) नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(ङ) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(च) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(छ) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(ज) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(झ) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ञ) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ट) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ठ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा – सदस्य–सचिव।

(2) शासी निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे; अर्थात् :––

(क) प्राधिकरण के कार्य के लिए वृहद नीतिगत ढांचे का निर्धारण करना;

(ख) समय–समय पर प्राधिकरण के कार्य की समीक्षा करना तथा शासी निकाय की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार सम्पन्न की जाएगी, किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है;

(ग) शासी निकाय किसी भी अधिकारी/व्यक्ति को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकता है। प्राधिकरण के प्रशासन, प्रबंधन और उसकी कार्य सम्पन्नता हेतु शासी निकाय इसके अनुरूप विनियम संरचित करेगा तथा आवश्यकतानुसार इस प्रकार संरक्षित विनियमों में बढ़ाना, संशोधित करना, परिवर्तित करना अथवा निरसन करेगा।

संचालन समिति के सदस्य तथा कार्य

7. (1) प्राधिकरण की संचालन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे; अर्थात् :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष;

(ख) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन – उपाध्यक्ष;

(ग) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(घ) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(ङ) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(च) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(छ) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ज) अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(झ) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ञ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(ट) ख्याति प्राप्त दो गैर सरकारी संगठन, जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में दो वर्ष के लिये नामित किया जायेगा, जो पुनः नामांकन के लिये पात्र हो सकते है। – सदस्य;

(ठ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा – सदस्य–सचिव।

(2) संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे; अर्थात् :—

(क) प्राधिकरण के मूल सिद्धान्तों और कार्यकारिणी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समिति हेतु कार्यविधि की संरचना, नियम और कार्यविधि निर्धारित करना;

(ख) प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त की गयी निधि के उपयोग की प्रगति का अनुश्रवण;

(ग) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा रचित वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित करना;

(घ) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन;

(ङ) प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु सम्पादनार्थ अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना; तथा

(च) संचालन समिति की बैठक प्रति छः माह में सम्पन्न की जाएगी, किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है।

कार्यकारी समिति के सदस्य तथा कार्य

8. (1) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होगे; अर्थात् :–

(क) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष;

(ख) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड – उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(घ) प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(ङ) अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड – सदस्य;

(च) अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण – सदस्य;

(छ) वित्त नियंत्रक, वन विभाग – सदस्य;

(ज) ख्याति प्राप्त दो गैर सरकारी संगठन जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में दो वर्ष के लिये नामित किया जायेगा, जो पुनः नामांकन के लिये पात्र हो सकते है – सदस्य;

(झ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा – सदस्य सचिव।

(2) कार्यकारी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे; अर्थात् :—

(क) प्राधिकरण के व्यापक उद्देश्यों और हित में मूल सिद्धान्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए संचालन समिति से अनुमोदित वार्षिक योजना के अधीन कार्यों के लिए प्रक्रियाओं के अनुमोदन हेतु कदम उठाएगी;

(ख) विभिन्न गतिविधियों के लिए पृथक–पृथक मदवार विवरण देते हुए प्रस्तावित गतिविधियाँ और अनुमानित लागत की स्वीकृति हेतु वार्षिक योजना तैयार कर, इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर के अन्त तक संचालन समिति की सहमति हेतु प्रस्तुत करेगी;

(ग) प्राधिकरण से अवमुक्त की गई निधि से लिए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी;

(घ) निधि में प्राप्ति और व्यय की उचित लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगी;

(ङ) कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर खाते के रखरखाव के लिए प्रक्रिया का विकास करेगी;

(च) समीक्षा/विचारार्थ, रिपोर्ट संचालन समिति को प्रस्तुत करेगी;

(छ) जून के अंत तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी;

(ज) प्राधिकरण की निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा दी जायेगी। कार्यकारी समिति द्वारा यह अधिकार अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधानित किया जा सकता है;

(झ) कार्यकारी समिति की बैठक प्रति तीन माह में सम्पन्न की जाएगी, किन्तु अध्यक्ष निर्णय लेकर इससे पूर्व अथवा किसी भी अन्तराल से बैठक बुला सकता है।

उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठक आहूत करना, गणपूर्ति, कार्य–सूची तथा बैठकों के कार्यवृत्त

9. (1) प्रत्येक शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की बैठक के आयोजन हेतु दस दिन पूर्व सूचना दी जाएगी :

परन्तु यह कि अध्यक्ष अपने विवेकानुसार आपात बैठक की स्थिति में समय सीमा कम कर सकता है।

(2) किसी भी बैठक की गणपूर्ति हेतु शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य पर्याप्त होंगे। गणपूर्ति में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव का होना आवश्यक होगा।

(3) शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की सभी बैठकों का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक के संचालक होंगे।

(4) शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। सभी मामले बहुमत द्वारा निर्णित किए जाएंगे। मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यसूची बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों के बीच प्रचारित की जाएगी :

परन्तु यह कि संस्था या शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति का कोई सदस्य पूरे एक सप्ताह का समय देते हुए या संबंधित अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाले सदस्य की अनुमति से संस्था या शासी निकाय अथवा संचालन समिति अथवा कार्यकारी समिति की बैठक का प्रस्ताव रख सकता है।

(6) कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्नों पर अध्यक्ष के आदेश अन्तिम और सर्वमान्य होंगे।

(7) बैठक का कार्यवृत्त सदस्य–सचिव द्वारा अभिलिखित कर शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त को किसी भी प्रस्तावित संशोधन के साथ अनुमोदन के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद सम्बंधित अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर, वह कार्यवृत्त पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

(8) सभी आदेशों और शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(9) जिन मामलों पर इस योजना के अन्तर्गत शासन की संस्तुति अनिवार्य है और जिन्हें शासन को पूर्ण विवरण सहित अलग से प्रस्तुत किया जाएगा, को छोड़ कर शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(10) प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य और प्राधिकरण या शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित कोई भी समिति को यात्रा एवं दैनिक भत्ता–वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग–तीन के नियम 20 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के इस सम्बन्ध में जारी नवीनतम अधिसूचना के साथ पढ़ते हुए अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का स्रोत

10. प्राधिकरण के खाते में निम्न प्रकार से निधि/राशियाँ प्राप्त व जमा की जायेंगी–

(क) तदर्थ कैम्पा द्वारा दी गई धनराशि;

(ख) प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनारोपण, एन0पी0वी0, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी गई शर्तों के अनुपालन में कोई धनराशि;

(ग) उपभोगता अभिकरण से पूर्व प्राप्त अप्रयुक्त निधि, जो तदर्थ कैम्पा एकाउन्ट में हस्तांतरित नहीं कराई जा सकी;

(घ) रक्षित क्षेत्रों अर्थात जैवविविधता और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों के वास्ते वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 26–क या 35 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, में दी गई वनभूमि के संबंध में **उपभोगता अभिकरण** से प्रत्याहरणीय निधि, को पृथक शीर्ष में रखा जाएगा;

(ङ) उस वनभूमि का, जो गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु परिवर्तित किया गया है, का वह शुद्ध वर्तमान मूल्य, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा उसके अधीन रचित नियम और मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत एवं उच्चतम न्यायालय के दिनाँक 29 अक्तूबर, 2002 के निर्णय के अनुपालन में जमा कराया गया है;

(च) राज्य सरकार प्राधिकरण के खाते में निम्न राशियां भी जमा कर सकती है–

(एक) अनुदान अथवा सहायता, यदि कोई प्राप्त हुई;

(दो) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा उसके द्वारा माँगा गया कोई ऋण;

(तीन) प्राधिकरण द्वारा लाभ, उपहार, दान या उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों से संबंध में प्राप्त अन्य धनराशि।

उत्तराखण्ड कैम्पा का खाता

11. (1) प्राधिकरण को प्राप्त धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रचलित ब्याज वाले खातों में जमा कराया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संचालन समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना में वर्णित कार्यों हेतु समय–समय पर आहरित की जा सकेगी।

(2) प्राधिकरण का खाता वित्त नियंत्रक (सदस्य कार्यकारी समिति) की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का उपयोग

12. प्राधिकरण में उपलब्ध निधि निम्न प्रयोजनों पर उपयोग की जाएगी :–

(क) अनुमोदित वार्षिक योजना अन्तर्गत वनों के रखरखाव और विकास तथा वन्यजीवों के प्रबंधन पर;

(ख) निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज़ के अंश में से प्राधिकरण के प्रबंधन, जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते सम्मिलित हैं, पर होने वाले वर्तनीय एवं अनावर्ती व्ययों पर, किन्तु उपभोगता अभिकरण से, उन दशाओं में जहाँ जैवविविधता और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों के वास्ते परिवर्तित वनभूमि यदि उस क्षेत्र अन्तर्गत है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 26–क या 35 द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रत्याहरणीय राशि इस प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जाऐगी;

(ग) धनराशि के दो प्रतिशत तक सीमांकित राशि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय की जाऐगी;

(घ) अन्य वन संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाओं पर भुगतान;

(ङ) उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत कार्य, सामग्री और सेवाओं का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित) के समुचित प्राविधानों के अंतर्गत किया जाएगा;

(च) प्राधिकरण की निधि का उपयोग सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का भुगतान

13. (1) प्रतिपूरक वनीकरण, अन्य प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना एवं अन्य कोई स्थल विशेष योजना हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत स्थल विशेष योजना के अनुरूप ही व्यय की जाएगी।

(2) प्राधिकरण, धनराशि प्राप्त होने के पश्चात, योजना समापन के एक वर्ष अथवा दो उपज ऋतुओं के अन्दर, प्रतिपूरक वनीकरण निधि में जमा राशि से प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

(3) शुद्ध वर्तमान मूल्य के प्रयोजन हेतु प्राप्त धनराशि प्राकृतिक पुनरोपादन, वन प्रबंधन, संरक्षण, अवस्थापना विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन, काष्ठ और अन्य वनोपज के बचाव संयंत्र के आपूर्ति के कार्य तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों पर व्यय की जाएगी।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अथवा रक्षित क्षेत्र में वनभूमि के परिवर्तन के मामले में राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुकूल वसूल की गई धनराशि एक भिन्न संग्रह के रूप में रखी जाएगी, जिसे अनन्य रूप से राज्य के रक्षित क्षेत्रों के बचाव और संरक्षण कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को पूर्व निर्धारित किस्तों में धनराशि अवमुक्त करेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य

14. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के आदेशों के शासी निकाय द्वारा निर्धारित एकीकृत वृहद् नैतिक ढाँचे के अन्तर्गत संचालन समिति और कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन में पालन का उत्तरदायी होगा। उसका प्राधिकरण के दैनिक कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा और वह उसके प्रशासन एवं अनुमोदित वार्षिक योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे; अर्थात् :—

(क) शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति की कार्यसूची की संरचना;

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ सभी प्रकार का पत्राचार करना;
(ग) उत्तराखण्ड कैम्पा की समस्त सम्पत्तियों और गोपनीय अभिलेखों का प्रभार तथा उनका संरक्षण;
(घ) निधि का संचालनः प्राधिकरण की निधि का प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रभार में होगा। वह अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर कार्यान्वयन अभिकरण को धनराशि अवमुक्त करने हेतु अधिकृत है तथा उसका उत्तरदायित्व लेखों को स्वीकृत और ऑडिट करने एवं कराने का है;
(ङ) शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित कराने के लिए सभी प्रबंध तथा उनमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना;
(च) प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों और आदेशों पर हस्ताक्षर करना;
(छ) प्राधिकरण में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को काम करने और कार्यदायी संस्था/वन विभाग के अधिकारियों से पत्रावलियाँ, अभिलेख और दस्तावेज़ों को अध्ययनार्थ तलब करने की शक्ति;
(ज) लेखों, वाउचरों, बिल, अन्य अभिलेखों और भण्डार की जाँच के साथ ही कैम्पा निधि से अवमुक्त राशि से किए गए कार्यों के आकस्मिक निरीक्षण करना तथा गुणात्मक और परिमाणात्मक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन;
(झ) संचालन समिति या कार्यकारिणी समिति के समक्ष उनके समीक्षार्थ/ विचारार्थ परिणाम आधारित अनुश्रवण और मूल्यांकन पद्धति की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराना तथा सूचनाओं व विवरणों का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण;
(ञ) कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर लेखों के रखरखाव, निधि की आय और व्यय का उचित लेखा परीक्षण, सुस्थित लेखा पद्धति, आन्तरिक लेखा परीक्षण, नवीनीकरण तथा अच्छे व्यवहार, अनुपालन परिणामपत्र एवं नियंत्रण पद्धति की प्रक्रिया लागू करना;
(ट) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय के अध्यक्ष रहेंगे, जो प्रभावकारी एवं प्रगुण पकड़ सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी अपेक्षित कार्मिक के स्थापन की दिशा में संविदा/सेवादायी संस्था के माध्यम से नियोजित करने में पूर्ण शक्ति निहित रहेगी;
(ठ) प्राधिकरण कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु कार्यकारी अधिकारी सभी दायक अधिकृत स्वीकृत और पारित करेंगें तथा प्राधिकरण निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेंगे;
(ड) वह पश्चाद्वर्ती किस्त की अदायगी को रोकने में सक्षम हैं :

परन्तु यह कि यथासम्भव, और किसी भी दशा में इस प्रकार की रोक से दो मास के पश्चात् नहीं, यह मामला कार्यकारी समिति/अध्यक्ष के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा;

(ढ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के शासी निकाय/संचालन समिति/ कार्यकारी समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रत्यायुक्त कृत्य और अन्य शक्तियाँ प्रयोग में लाऐंगे;
(ण) वह सम्बन्धित क्रियान्वयन प्रभागों के द्वारा निष्पादित अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के कार्यों की तथ्यात्मक क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट लिखेंगे तथा उनके नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रेषित करेंगे, जिनके द्वारा उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों का कार्य क्षमता की समीक्षा करते समय उक्त क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड कैम्पा की लेखा पद्धति, अंकेक्षण एवं वार्षिक रिपोर्ट

15. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा अवधि में आगामी वर्ष हेतु, संस्था की अपेक्षित आय तथा व्यय दर्शाते हुए, आय–व्ययक तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण वार्षिक योजना के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विशेष रूप से वित्तीय विनियम और कार्यविधि को अंगीकार करेगा।

(3) प्राधिकरण लेखों तथा अन्य अभिलेखों का उचित रूप से रख रखाव करेगी तथा सम्बंधित महालेखाकार की सलाह से निर्दिष्ट रूप में लेखों की वार्षिक तालिका बनाएगा।

(4) प्राधिकरण के लेखों का ऑडिट महालेखाकार द्वारा उसके द्वारा निश्चित समय–अन्तराल पर किया जायगा। इस पर महालेखाकार को दिये गये धन का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) महालेखाकार अथवा ऑडिट के लिए, उसके द्वारा नियुक्त, अन्य व्यक्ति को वही अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त होंगी, जो सरकारी लेखों के ऑडिट में उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। वे लेखे, पंजिकायें, सम्बंधित वाउचर और अन्य कागजात की माँग कर सकते हैं तथा प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

(6) प्राधिकरण लेखों को महालेखाकार, अथवा इस आयोजन हेतु उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति, द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरान्त ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार, तदर्थ कैम्पा तथा राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को यह अधिकार है कि प्राधिकरण का विशेष अंकेक्षण अथवा कार्यपरक अंकेक्षण कराए।

(8) अन्य बातों के साथ साथ प्राधिकरण की वार्षिक विवरणी में निम्नलिखित उपलब्ध कराना होगा :––

(क) विभिन्न कार्यों और उन पर हुए व्यय का विस्तृत वर्णन;

(ख) प्राधिकरण को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विस्तृत वर्णन; तथा

(ग) ऑडिट रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी।

(9) राज्य सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के पटल पर रखेगी।

उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

16. (1) राज्य में उपलब्ध धनराशि को प्रयोग कर कृत कार्यों के समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित की जाएगी तथा धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उस पर अनुपालन किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्राधिकरण के कृत कार्यों के निरीक्षण तथा वित्तीय ऑडिट हेतु निर्देशित करने के लिए अधिकृत है।

(3) इस बात से संतुष्ट होने पर की अवमुक्त निधि का उपयोग संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद् तथा प्राधिकरण के संचालन समिति को शेष धनराशि अथवा उसके किसी अंश के भुगतान को स्थगित अथवा विलम्बित करने का अधिकार होगा।

(4) राज्य सरकार, एक या एक से अधिक व्यक्ति को प्राधिकरण के कार्य और प्रगति की समीक्षा और उसके कार्यों की जाँच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त कर सकती है। रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही या निर्देश जारी कर सकती है, जिनका अनुपालन प्राधिकरण के लिए बाध्य होगा।

(5) क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा/अद्यतन रिपोर्ट तथा लेखा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाएगी।

उत्तराखण्ड कैम्पा में पदों का सृजन, संविदा, आवश्यकताओं की पूर्ति और कार्यवाहियाँ

17. (1) प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार संचालन समिति नये पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

(2) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारिवृन्द संस्था के अधीन रहेगें। प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। इन अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर उनके पैतृक विभाग के सेवा नियम लागू रहेगें तथा उन्हें पैतृक विभाग में उपलब्ध सभी सुविधायें प्राप्त होगी। संस्था में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को अगला पे ग्रेड दिया जायेगा। संविदारत अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से स्थापित कर्मचारी अनुबन्ध–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन होंगे।

(3) सभी संविदा प्राधिकरण के नाम पर तथा उसके पक्ष में की जायेगी, प्राधिकरण की ओर से किसी सामग्री के क्रय, विक्रय अथवा पूर्ति के लिए कोई संविदा या वित्तीय बंध–पत्र प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति, कार्यकारी समिति के किसी सदस्य के साथ अथवा उसके संबंधी अथवा किसी ऐसी फर्म के साथ, जिसमें सदस्य अथवा उसके संबंधी साझीदार अथवा शेयर होल्डर अथवा अन्य साझीदार, ऐसी फर्म में अथवा किसी निजी कम्पनी में, जिसका सदस्य भी सदस्य अथवा निदेशक हो, नहीं किया जायेगा।

(4) प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी के माध्यम से किसी पर दावा दायर कर सकती है या प्राधिकरण पर दावा किया जा सकता है। किसी रिक्ति के उत्पन्न होने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय अथवा प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी के पते में बदलाव आने पर कोई मुकदमा या अनुष्ठान दायर नहीं किया जा सकता; मुकदमें या अनुष्ठान में प्राधिकरण के विरुद्ध आज्ञप्ति/आदेश की देयता किसी व्यक्ति विशेष अथवा पदाधिकारियों की सम्पत्ति पर न होकर प्राधिकरण की सम्पत्ति पर ही होगी। प्राधिकरण के पदाधिकारी अधिनियम अन्तर्गत किसी आपराधिक दायित्व से नहीं बच सकते, न ही वे आपराधिक अदालत द्वारा, दोषसिद्ध किए जाने पर, किए गए जुर्माने की अदायगी के लिए संस्थान की सम्पत्तियों पर कोई दावा कर सकते हैं।

विधिमान्यकरण

18. एतद्द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1-20/2006/CAMPA दिनाँक 15.02.2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाइटी मोड में गठन एवं पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–75/x-2-2010-7(6)/2004 दिनाँक 31.08.2010 को निरस्त करते हुए सोसाइटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का विघटन किया जाता है। उक्त निरस्तीकरण/विघटन से पूर्व उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा किये गये सभी कृत्य अथवा कार्यवाही (सोसाइटी के रूप में किए गये कार्य) कानूनी गठन के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत समझे जाएंगे। सोसाइटी की सभी सम्पत्ति व देनदारियों के साथ मानव् शक्ति सहित इस अधिसूचित प्राधिकरण अर्थात् उत्तराखण्ड कैम्पा में समाहित हो जायेगी।

(एस. रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–/ (1)/X–2–2012, तद्दिनांक.

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक राजकीय प्रिंटिग प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषिक कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये एवं मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

संख्या–/ (2)X–2–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
4. महालेखाकार (A&E) उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
5. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF), उत्तराखण्ड।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तदर्थ कैम्पा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
14. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
16. उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 8–ए, बंगाली मो0 करनपुर, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dehradun: Dated , 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Forest and Environment Section – 2
No:/322X-2-2012-7(6)/2004 T.C
Dehradun, Dated: 08 November, 2012

NOTIFICATION

In compliance to directions issued by Hon'ble Supreme Court of India in it's order dated 10th July, 2009 in I.A. No.2143 in W.P. (C) No. 202/1995 and instructions contained in Ministry of Environment and Forest, Government of India letter No.1-58/09-Mos (I/c) – E and F dated 15th July 2009, the Governor of Uttarakhand is pleased to constitute an Authority to be known as Uttarakhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (***Uttarakhand CAMPA***). The said Authority is intended as an instrument to accelerate activities for compensatory afforestation, forest resource management, preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector, and allied works. The Authority would provide an integrated framework for utilizing multiple sources of funding and activities relating to protection and management of forests and wildlife. The prime task of the Authority would be regenerating natural forests and building up institutions engaged in this work. The state forest department would be modernized to protect and regenerate the forests and wildlife habitats. The Authority is also intended to promote voluntary movement of youth and students for supporting conservation activities.

The Uttarakhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Uttarakhand CAMPA)

Short title and commencement

1. **(1)** These may be called the Uttarakhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Uttarakhand CAMPA), 2012.

(2) It shall come into force at once.

Definitions

2. In these, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **"Authority"** means Uttarakhand CAMPA constituted by this notification;

(b) **"Implementing Agency"** means relevant forest/wildlife divisions, community user groups including Van Panchayats and/or other appropriate professional agency engaged as per State Government financial rules fulfilling aims and objectives of Uttarakhand CAMPA;

(c) **"*Ad-hoc* CAMPA"** means *an Ad-hoc* body in Ministry of Environment and Forests, Government of India namely Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority constituted vide Hon'ble Supreme Court of India's order dated 5th May 2006 in I.A. No. 827, 1122, 1216, 1473 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995.

Aims and Objectives of Uttarakhand CAMPA

3. The Authority shall seek to promote the following; namely :--

(a) Conservation, Protection, Regeneration and Management of existing natural forests;

(b) Conservation, Protection and Management of wildlife and its habitat within and outside the protected areas including the consolidation of the protected areas;

(c) Compensatory Afforestation;

(d) Environmental Services, which include:-

(i) Provision of goods such as wood, non-timber forest products, fuel, fodder and water, and provision of services such as grazing, tourism, wildlife protection and life support;

(ii) Regulating services such as climate regulation, disease control, flood moderation, detoxification, carbon sequestration and health of soils, air and water regimes;

(iii) Non-material benefits obtained from ecosystems, spiritual, recreational, aesthetic, inspirational, educational and symbolic; and

(iv) Supporting such other services necessary for the production of ecosystem services, biodiversity, nutrient cycling and primary production.

(e) Research, training and capacity building.

The Functions of Uttarakhand CAMPA

4. The Functions of Uttarakhand CAMPA shall include; namely --

(a) Funding, overseeing and promoting compensatory afforestation to be done in lieu of diversion of forest land for non-forestry use under the Forest (Conservation) Act, 1980;

(b) Overseeing forest and wildlife conservation and protection works within forest areas undertaken and financed under the programme;

(c) Maintaining a separate account in respect of the funds received for conservation and protection of Protected Areas;

(d) Creating transparency for the programme and mobilizing citizen support and promote a voluntary movement of youth and students to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife; and

(e) Ensuring result based monitoring and evaluation system and efficient performance delivery while earmarking up to two percent of the funds for monitoring and evaluation.

The Chief Executive Officer of Uttarakhand CAMPA

5. There shall be a Chief Executive Officer (CEO) of the rank of Conservator of Forests/Chief Conservator of Forests for administering day today affairs of the Authority. The CEO shall be appointed by the State Government initially for a period of three years which may be extended up to five years or as may be fixed by State Government from time to time.

Member of the Governing Body and functions

Composition of Uttarakhand CAMPA

6. (1) The Governing body shall be consist as follows; namely :--

(a)	Chief Minister, Uttarakhand	- Chairperson;
(b)	Minister of Forests and Environment Government of Uttarakhand	- Vice Chairperson;
(c)	Minister of Finance, Government of Uttarakhand	- Member;
(d)	Minister of Planning, Government of Uttarakhand	- Member;
(e)	Chief Secretary , Government of Uttarakhand	- Member;
(f)	Principal Secretary, Forest and Environment Government of Uttarakhand	- Member;
(g)	Principal Secretary, Finance, Government of Uttarakhand	- Member;
(h)	Principal Secretary, Planning Government of Uttarakhand	- Member;
(i)	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand	- Member;
(j)	Principal Chief Conservator of Forests Van Panchayat, Uttarakhand	- Member;
(k)	Chief Wildlife Warden, Uttarakhand	- Member;
(l)	Chief Executive Officer (CEO) Uttarakhand CAMPA	- Member Secretary.

(2) The Governing Body shall act as follows; namely:-

(a) lay down the broad policy framework for the functioning of the Authority;

(b) review its working from time to time and shall usually meet at least once in a year but it may also meet earlier or at such other interval as may be decided by the Chairperson;

(c) may invite any concerned officer / person as special invitee. The Governing Body shall frame bye laws not inconsistent with this notification for the administration and management of the Authority and likewise add, amend, alter or rescind any bye laws so framed.

Members of the Steering Committee and functions

7. (1) The Steering Committee shall be consist as follows; namely :--

(a)	Chief Secretary, Government of Uttarakhand	- Chairperson;
(b)	Principal Secretary, Forests and Environment Government of Uttarakhand	- Vice Chairperson;
(c)	Principal Secretary, Finance , Government of Uttarakhand	- Member;
(d)	Principal Secretary, Planning Government of Uttarakhand	- Member;
(e)	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand	- Member;
(f)	Principal Chief Conservator of Forests Van Panchayat, Uttarakhand	- Member;
(g)	Chief Wildlife Warden, Uttarakhand	- Member;
(h)	APCCF, Planning and Finance Management	- Member;
(i)	APCCF/Nodal Officer, Forest Conservation Land Survey Directorate, Uttarakhand	- Member;
(j)	A Representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India	- Member;
(k)	Two eminent NGOs to be nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for re-nomination	- Member;
(l)	Chief Executive Officer (CEO) Uttarakhand CAMPA	- Member Secretary.

(2) The Steering Committee shall act as follows; namely : -

(a) Lay down and / or approve rules and procedures for the functioning of the body and its Executive Committee, subject to the overarching objectives and core principles of the Authority;

(b) Monitor the progress of the utilization of funds released by the Authority;

(c) Approve the Annual Plan of Operation (APO) prepared by the Executive Committee of the Authority;

(d) Approve the annual reports and audited accounts of the Authority;

(e) Ensure inter-departmental coordination for smooth functioning of the Authority; and

(f) Usually meet at least once in six month, but it may also meet earlier or at such other interval as may be decided by the Chairperson.

Members of the Executive Committee and functions

8. (1) The Executive Committee shall be consist as follows; namely :--

(a)	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand	- Chairperson;
(b)	Principal Chief Conservator of Forests Van Panchayat, Uttarakhand	- Vice Chairperson;
(c)	Chief Wildlife Warden Uttarakhand	- Member;
(d)	Principal Chief Conservator of Forests Projects	- Member;
(e)	Chief Wildlife Warden Uttarakhand	- Member;
(f)	APCCF, Planning and Finance Management	- Member;
(g)	APCCF/Nodal Officer, Forest Conservation	- Member;
(h)	Finance Controller, Forest Department	- Member;
(i)	Two eminent NGOs to be nominated by the State Government for a period of 2 years at a time who shall be eligible for re-nomination	- Member;
(j)	Chief Executive Officer (CEO) Uttarakhand CAMPA	- Member Secretary.

(2) The Executive Committee shall act as follows; namely :-

(a) take all steps for giving effect to the Authority and overarching objectives and core principles, in accordance with rules and procedures approved by the Steering Committee and the approved APO;

(b) prepare the APO of the State for various activities, submit it to the Steering Committee before end of December for each financial year, and obtain the Steering Committee's concurrence for release of funds, while giving break-up of the proposed activities and estimated costs;

(c) supervise the works being implemented in the State out of the funds released from the Authority account;

(d) be responsible for proper auditing of both receipt and expenditure of funds of Authority account;

(e) develop the code for maintenance of the account at the implementing agency level;

(f) submit reports to the Steering Committee of the Authority for review / consideration;

(g) prepare Annual Report of the Authority by end-June for each financial year;

(h) have power to accord administrative / financial sanction of various works to be executed at the implementing agency level out of Authority funds which may be delegated to Chairman and Chief Executive Officer; and

(i) usually meet at least once in three month, but it may also meet earlier or at such other interval as may be decided by the Chairperson.

Notice for meetings, quorum, agenda and minutes of proceedings of meetings of Uttarakhand CAMPA

9. (1) For every meeting of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee ten days notice shall be given :

Provided that in case of emergency the Chairperson may reduce the period of notice to such period as he deems fit.

(2) Two-third members of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee as the case may be, shall constitute quorum for any meeting: The quorum must include Chairperson/ Vice-Chairperson and Member-Secretary :

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary for the adjourned meeting.

(3) The Chairperson, if present, shall preside at every meeting of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee concerned. In the absence of the concerned Chairperson meeting shall be presided by Vice-Chairperson.

(4) Each member of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall have one vote and all the matter shall be decided by the majority of votes. In case of equality of votes, the concerned Chairperson shall have a casting vote.

(5) Agenda of the meeting of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall be circulated among the members at least seven days before the meeting, provided that a member of the Governing Body, Steering Committee or Executive Committee may move a resolution at a meeting of the Governing Body, Steering Committee or Executive Committee after giving a notice of one clear week or with the permission of the concerned Chairperson or the person presiding over the meeting.

(6) Ruling of the concerned Chairperson in regard to all questions of procedure shall be final.

(7) The minutes of the proceedings of a meeting of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated amongst the members of

the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee. The minutes along with any amendments suggested shall be placed before chairperson for approval. After the minutes are confirmed and signed by the concerned Chairperson, they shall be recorded in the Minutes Book.

(8) All orders and decisions of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall be authenticated by the signature of the CEO of the Authority.

(9) Apart from the matters requiring approval of the State Government under these paras, which shall be submitted to the Government separately giving full detail thereof, a copy of the proceedings of each of the meeting of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall be furnished to the State Government.

(10) A non-official Member/Invitee of the Governing Body or Steering Committee or Executive Committee shall be entitled to such travelling allowance and daily allowance as may be admissible under rule 20 of Financial Handbook Volume-III (read with latest amendments).

Sources of funds of Uttarakhand CAMPA

10. Following funds / money receipts shall be credited into the account of Authority :--

(a) amount transferred to it by the *Ad-hoc* CAMPA;

(b) receipt of all monies from user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value (NPV), catchment area treatment plan or any money for compliance of conditions stipulated by the Central Government while according approval under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980;

(c) unspent funds already realized by forest department from user agencies and not transferred yet to the *Ad-hoc* CAMPA account;

(d) funds recoverable from user agencies in cases where forest land diverted falls within the protected areas, that is, areas notified under sections 18, 26-A or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for undertaking activities relating to the protection of biodiversity and wildlife, which would be maintained under a separate head;

(e) net Present Value (NPV) of the forest land diverted for non-forestry purposes, collected under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the rules and the guidelines made there under and in pursuance of the judgment of the Hon'ble Supreme Court order dated the 29th October, 2002 from user agencies;

(f) the State Government may also credit to the Authority account --

- **(i)** grants or aid received if any;
- **(ii)** any loan taken by the Authority or any borrowings made by it; and
- **(iii)** any other sums received by the Authority by way of benefaction, gift or donations.

Account of Uttarakhand CAMPA

11. (1) The monies received in the State CAMPA shall be kept in interest-bearing account(s) in nationalized bank(s) and periodically withdrawn for the works as per the Annual Plan of Operations (APOs) approved by the Steering Committee of the Authority.

(2) The account of Uttarakhand CAMPA shall be operated by joint signature of Chief Executive Officer and Chairperson Executive Committee of the Authority in concurrence with Finance Controller (Member- Executive Committee)

Utilization of fund of Uttarakhand CAMPA

12. The money available with the Authority shall be utilized for meeting –

(a) expenditure towards the development, maintenance and protection of forests and wildlife management as per the approved Annual Plan of Operation (APO);

(b) the non-recurring as well as recurring expenditure for the management of Uttarakhand CAMPA, including administrative expenditure and the salary and allowances payable to its officers and other employees, by utilizing a part of the income from interest received by on funds invested by the Authority, but excluding income from funds recoverable from the user agencies in cases where forest land diverted falls within the protected areas, that is, areas notified under sections 18, 26A or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for undertaking activities related to protection of biodiversity and wildlife;

(c) the expenditure incurred on monitoring and evaluation subject to overall ceiling of 2% of the amount to be spent every year ;

(d) disbursement on such other projects related to forest conservation;

(e) the relevant provisions of Uttarakhand Procurement Rules, 2008 (as amended from time to time) for procurement of works, goods and services shall be applicable, while utilizing the Authority fund; and

(f) the funds of the Authority shall be utilized by respective implementing agencies.

Disbursement of funds of Uttarakhand CAMPA

13. (1) The money received for compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment area treatment plan and for any other site specific scheme may be used as per site-specific schemes submitted to Central Government along with the proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(2) After receipt of the money, the Authority shall accomplish the afforestation for which money is deposited in the compensatory afforestation fund within a period of one year or two growing seasons after project completion, as may be appropriate.

(3) The money received on account of Net Present Value (NPV) shall be used for natural assisted regeneration, forest management, protection, infrastructure development, wildlife protection and management, supply of wood and other forest produce saving devices and other allied activities.

(4) Monies realized from the user agencies in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's orders or decision taken by the National Board for Wildlife involving cases of diversion of forest land in protected areas shall form a distinct corpus and shall be used exclusively for undertaking protection and conservation activities in protected areas of the State.

(5) The Authority shall release monies to the implementing agencies in predetermined installments as per the Annual Plan of Operation (APO) approved by the steering committee.

The functions, powers and duties of Chief Executive Officer Uttarakhand CAMPA

14. The Chief Executive Officer (CEO) of the Authority will be responsible to execute the mandate of Uttarakhand CAMPA within an integrated broad policy framework provided by Governing Body under the guidance and decisions of the Steering Committee and Executive Committee. The CEO will have overall control over the day-to-day activities of the Uttarakhand CAMPA and be responsible for its administration and implementation of approved APO activities. The CEO will exercise following powers and duties; namely:-

(a) preparation of agenda for meetings of Governing Body, Steering Committee and Executive Committee;

(b) carrying out all necessary correspondence with Government of India and Government of Uttarakhand;

(c) shall be in charge of all assets and the confidential papers of the Authority and shall be responsible for preserving them;

(d) shall be responsible for managing the Authority funds, thereby authorizing release of money to the implementing agency as per approved APO and accepting and auditing accounts;

(e) shall make all arrangements for holding meetings of the Governing Body and meetings of the Steering and Executive Committees and ensure timely compliance of decisions taken by Executive Committee, Steering Committee and Governing Body;

(f) all orders or instructions to be issued by the Authority shall be over the signature of the CEO;

(g) shall be entitled to call for the services of any officer or employee of the Authority, and files, papers and documents for study from implementing agencies / forest department officials;

(h) qualitative and quantitative monitoring and evaluation of the activities as also to carry out inspection of activities taken up from the Authority funds released at any time including checking of accounts, vouchers, bills and others records and store;

(i) ensuring accountability as per results based monitoring and evaluation system and timely submission of returns and reports to the Executive / Steering Committee for review / consideration;

(j) operationalizing the code for maintenance of the account at the implementing agency level towards proper auditing of both receipt and expenditure of funds and sound accounting procedure with internal audit, innovation and best practices, performance scorecards and control systems;

(k) to head Uttarakhand CAMPA office while ensuring effective and efficient delivery and shall have full powers for contractual / service provider engagement of required personnel;

(l) shall authorize, sanction or pass all payments for smooth functioning of Authority's office and also for monitoring and evaluation of various works carried out of the Authority funds at the implementing agency level;

(m) may withhold any payment of subsequent instalment :

Provided that as soon as may be and in any case not later than two month after such withholding of payment the matter shall be placed before the Executive Committee/Chairperson for its confirmation;

(n) shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him from time to time either by the Governing Body/Steering Committee/Executive committee or the State Government;

(o) shall write and forward, factual performance appraisal report relating to APO works executed by concerned implementing divisions, to their controlling officers who shall take the report into cognizance while making performance review of the officers under their administrative control.

Accounting procedure, audit and annual report of Uttarakhand CAMPA

15. (1) The Authority shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority.

(2) The Authority shall adopt financial regulations and procedures, in particular the procedure for approval and implementing the APO.

(3) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Accountant General concerned.

(4) The accounts of the Authority shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General.

(5) The Accountant General and any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.

(6) The accounts of the Authority as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and annual report, shall be forwarded annually to the State Government, the Ministry of Environment and Forest and the *Ad-hoc* CAMPA by the Authority.

(7) The State Government and the Ministry of Environment and Forest, Government of India shall have the power to conduct special audit or performance audit of the Authority.

(8) The Annual Report of the Authority shall provide, inter alia, for--

(a) the details of various works done and the amount spent;

(b) the details of the amount received by the Authority from various sources; and

(c) the observations made in the audit report.

(9) The State Government shall cause the annual report and audit report of the Authority to be laid before the State Legislature.

Monitoring and Evaluation of the works of Uttarakhand CAMPA

16. (1) An independent system for concurrent monitoring and evaluation of the works implemented by the Authority utilizing the funds available shall be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds.

(2) The National CAMPA advisory council, Ministry of Environment and Forests shall have the powers to order special inspection and financial audit of works executed by the Authority.

(3) If satisfied that the funds released are not being utilized properly, the National CAMPA advisory council as well as the Steering Committee of the Authority shall have the power to withhold or suspend the release of remaining funds or part thereof.

(4) The State Government may appoint one or more persons to review the work and progress of the Authority and hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the State Government may stipulate. Upon receipt of any such report, the State Government may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt within the report, and the Authority, shall be bound to comply with such directions.

(5) Periodical Review/Status Reports regarding implementation and the effectiveness of the accounting, monitoring and evaluation systems shall be sent to the State Government and Government of India by the Authority.

Creation of posts, contracts, suits and proceedings of Uttarakhand CAMPA

17. (1) The Steering Committee may approve creation of new positions/ posts for smooth functioning of the Authority as and when required.

(2) Officers and staff will be seconded to the Authority on deputation after approval of Chairperson Executive Committee. The period of deputation will initially be of 3 years which may be extended upto 5 years. Such staff on deputation will be governed by their respective service rules and shall be entitled to all facilities and perks admissible to them in their parent department. The persons seconded on deputation to the Authority shall be entitled for the next higher grade pay. The persons hired on contract basis or hiring of services through service provider shall be governed by terms and conditions specified in respective agreements.

(3) All contracts for and on behalf of the Authority shall be expressed to be made in the name of the Authority. No contract for the sale, purchase or supply of any goods or material shall be made or financial agreement entered into for and on behalf of the Authority with any member of the Governing Body, Steering Committee or Executive Committee or his relative or a firm in which such member or his relative is a partner or share-holder or any other partner in such a firm or a private company of which the member is a member or Director.

(4) The Authority may sue or be sued in the name of the Authority through its Chief Executive Officer. No suit or proceeding shall lie for reason of any vacancy or change in the address of the office of Chief Executive Officer or any office bearer of the Authority. Every decree or order against the Authority in the suit or proceedings shall be executable against the property of the Authority and not against the person or the property of any office bearer. Nothing in this notification shall exempt office bearer of the Authority from any criminal liability under relevant Act, or entitle him to claim any contribution from the property of the Authority in respect of any fine to be paid by them on conviction by a criminal court.

(5) The said Authority shall have immediate effect and this Notification is being issued in supersession of all earlier Notification and State Government orders related to constitution and functioning of Uttarakhand CAMPA.

Validation **18.** Simultaneously Uttarakhand CAMPA constituted and registered in society mode vide State Government order No. 75 / X-2-2010-7(6) / 2004 T.C. dated 31st August, 2010 is disbanded and the said Government order regarding Uttarakhand CAMPA society is hereby repealed in the light of directions issued to the State Government by Ministry of Environment and Forests, Government of India vide letter No- 1-20/2006/CAMPA dated 15th February, 2012. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the previous Uttarakhand CAMPA (functioning as a society), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the statute constituting Uttarakhand CAMPA. All the assets and liabilities of the Society including manpower shall belong to the said notified Authority i.e. Uttarakhand CAMPA.

By Order,

(S. Ramaswamy)
Principal Secretary.